

न्यायालय : पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क्र. : 2322 / 2014)

(संस्थित दिनांक : 29 / 12 / 2014)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन

/// विरुद्ध ///

01. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र दूरविन यादव उम्र 30 वर्ष

निवासी :- ग्राम लौहारपुरा, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

..... अभियुक्त ।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक : 04 / 01 / 2017 को घोषित)

01. अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह पर धारा 429 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक : 14 / 09 / 2014 को रात्रि लगभग 09:30 बजे मौ गोलम्बर के पास बस क्रमांक एम.पी.30 / पी / 0130 से फरियादी गोविन्द को नुकसान कारित करने के आशय से उसके सुअर को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित कर रिष्टि कारित की।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 14 / 09 / 2014 को रात्रि लगभग 09:30 बजे मौ गोलम्बर के पास, काजल यादव सफेद रंग की बस के चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाही से चलाकर सुअर में टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित कर फरियादी को नुकसान कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी गोविन्द द्वारा दिनांक 16 / 09 / 2014 को थाना मौ में की जाने पर, थाना मौ में काजल यादव सफेद रंग की बस के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 316 / 2014 अन्तर्गत धारा 429 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया। आरोपी धर्मेन्द्र को दिनांक 27 / 09 / 2014 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। आरोपी द्वारा थाना मौ में पेश करने पर वाहन बस क्रमांक एम.पी.30 / पी / 0130, मय बस का रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेश एवं आरोपी धर्मेन्द्र के ड्रायविंग लाईसेंस की फोटोप्रति जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी गोविन्द का कथन लेखबद्ध किया गया। तदोपरांत विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 429 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। इस वावत् उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी धर्मेन्द्र ने दिनांक :- 14/09/2014 को रात्रि लगभग 09:30 बजे मौ गोलम्बर के पास बस क्रमांक एम.पी.30/पी/0130 से फरियादी गोविन्द को नुकसान कारित करने के आशय से या संभाव्य जानते हुए उसके सुअर को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित कर रिष्टि कारित की?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

07. फरियादी गोविन्द अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह हाजिर अदालत आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 05/02/2016 से करीबन डेढ़ साल पहले की होकर रात के 09 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि उसकी सुगरियों अर्थात् सुअर साइड से चल रहा था और तभी आरोपी धर्मेन्द्र अपनी बस को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर लाया और सुगरिया में टक्कर मार दी, जिससे उसके पीछे का हिस्सा टूट गया था। बस के पीछे कागज यादव लिखा था और सुगरिया घटनास्थल पर ही मर गई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मौ में की थी, जो प्र.पी.02 है, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया था, जो प्र.पी.03 है, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने इस संबंध में उसका बयान लिया था।

08. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में गोविन्द अ.सा.02 का कहना है कि वह घटना दिनांक को घर पर था। तत्पश्चात् उसका कहना है कि घटना के समय वह मौके पर था और घटना उसके सामने हुई थी, परन्तु वह यह नहीं बता सकता कि उसकी सुगरिया घर से निकलकर सड़क पर कैसे आ गई थी। साक्षी आगे कहता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 में आरोपी चालक का नाम धर्मेन्द्र यादव लिखा दिया था, यदि ना लिखा हो तो कारण नहीं बता सकता। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक निहाल सिंह अ.सा.04 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि फरियादी गोविन्द अ.सा.02 ने दुर्घटनाकारित करने

वाली बस का नम्बर एवं वाहन चालक का नाम नहीं बताया था। उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02, जो कि घटना के दो दिन पश्चात् दिनांक : 16/09/2014 को लेखबद्ध की गई है, में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी धर्मेन्द्र का नाम उल्लेखित नहीं है। उल्लेखनीय यह भी है कि फरियादी गोविन्द अ.सा.02 के कथन अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. जो कि दिनांक : 16/09/2014 को ही लेखबद्ध किया गया है, में भी दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी धर्मेन्द्र का नाम उल्लेखित नहीं है। ऐसी दशा में न्यायालय में उपस्थित आरोपी को देखकर दुर्घटनाकारित करने वाले चालक के रूप में फरियादी गोविन्द अ.सा.02 द्वारा पहचान लेने मात्र से, यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि फरियादी गोविन्द अ.सा.02 ने घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर आरोपी धर्मेन्द्र को दुर्घटनाकारित करने वाली बस को चलाते हुए देखा था, क्योंकि यदि उसने धर्मेन्द्र को उक्त बस चलाते हुए देखा होता तो निश्चय ही धर्मेन्द्र का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र. पी.02 एवं फरियादी गोविन्द अ.सा.02 के पुलिस कथन में अंकित होता।

09. उल्लेखनीय है कि अभियोजन कथा के अनुसार घटना दिनांक : 14/09/2014 की है और घटना की रिपोर्ट फरियादी गोविन्द अ.सा.02 द्वारा घटना के दो दिन पश्चात् दिनांक : 16/09/2014 को की गई है, और उक्त विलम्ब का कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में, दुर्घटनाकारित करने वाली बस के स्टाफ द्वारा पैसे देने का आश्वासन दे रहे होने, तत्पश्चात् मना कर देने पर रिपोर्ट करने आना लिखा हुआ है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में फरियादी गोविन्द अ.सा.02 ने भी यह दर्शित किया है कि वह रिपोर्ट करने के लिए घटना के दो दिन बाद थाने गया था। साक्षी आगे कहता है कि घटना दिनांक को रिपोर्ट करने इसलिए नहीं गया था, क्योंकि आरोपी धर्मेन्द्र ने उससे कहा था कि सुअर मरने के पन्द्रह हजार रुपये दे दूंगा। साक्षी आगे कहता है कि यह बात उसने पुलिस को बता दी थी, अगर पुलिस कथन में ना लिखी हो तो, वह कारण नहीं बता सकता। उल्लेखनीय है कि ना तो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र. पी.02 एवं ना ही फरियादी गोविन्द अ.सा.02 के पुलिस कथन में ऐसे किसी तथ्य का उल्लेख है। इसलिए फरियादी गोविन्द द्वारा दर्शित विलम्ब का कारण सत्य प्रतीत नहीं होता है। उल्लेखनीय यह भी है कि यदि फरियादी गोविन्द अ.सा.02 की आरोपी धर्मेन्द्र से उक्त पन्द्रह हजार रुपये के लेन-देन की कोई चर्चा हुई होती तो फरियादी गोविन्द अ.सा.02 आरोपी धर्मेन्द्र के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट करता और उक्त लेन-देन का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 में अवश्य करता। इस प्रकार दुर्घटनाकारित करने वाले चालक के रूप में आरोपी धर्मेन्द्र की पहचान के संबंध में फरियादी गोविन्द अ.सा. 02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य विरोधाभाष पूर्ण होने के कारण सत्य प्रतीत नहीं होता है।

10. अभियोजन साक्षी दिलीप अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी धर्मेन्द्र को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 05/02/2016 से करीबन डेढ़ साल पहले की होकर रात के 09 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी धर्मेन्द्र अपनी गाड़ी को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर चलाता हुआ ला रहा था और आरोपी ने उसकी बटाई पर ली गई सुगरिया में टक्कर

मार दी, जिससे सुगरिया के पिछले हिस्से में चोट आई थी और सुगरिया मौके पर ही खत्म हो गई थी। इस संबंध में पुलिस ने उसका दो दिन बाद बयान लिया था।

11. मुख्य परीक्षण एवं प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में दिलीप अ.सा.03 का कहना है कि पुलिस ने घटना के दो दिन बाद उसका बयान थाने पर लिया था। परन्तु अभियोग पत्र के साथ साक्षी दिलीप अ.सा.03 का कोई पुलिस कथन अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. संलग्न होना अभिलेख से दर्शित नहीं होता है। प्रकरण के विवेचक शेष देव राम भगत अ.सा.06 ने भी उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में केवल फरियादी गोविन्द का कथन अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. लेखबद्ध किया जाना बताया है, ना कि किसी अन्य साक्षी का या साक्षी दिलीप अ.सा.03 का, कथन लेखबद्ध किया जाना। प्रकरण के विवेचक शेष देव राम भगत ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया कि साक्षी दिलीप को उन्होंने प्रकरण में किस बिन्दु का साक्षी बनाया है और उसका नाम साक्ष्य सूची में किस बिन्दु को प्रमाणित करने के लिए लेखबद्ध किया है। इस प्रकार मात्र साक्ष्य सूची में किसी साक्षी का नाम अंकित होने से उसे घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना नहीं माना जा सकता। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में दिलीप अ.सा.03 का भी फरियादी गोविन्द अ.सा.02 के अनुरूप यह कहना है कि वह लोग घटना की रिपोर्ट दो दिन बाद करने इसलिए गये थे, क्योंकि आरोपी उन्हें सुअरिया के बदले में पैसे देने का आश्वासन देता रहा था। साक्षी आगे कहता है कि उक्त बात उसने पुलिस को बता दी थी। यदि दिलीप अ.सा.03 द्वारा विलम्ब से रिपोर्ट करने का उक्त कारण पुलिस को बताया होता तो निश्चय ही प्रकरण के विवेचक शेषदेव राम भगत अ.सा.06 द्वारा इस वावत् उसका बयान लेखबद्ध कर स्वयं के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में उक्त तथ्य दर्शित किया होता। परन्तु शेषदेव राम भगत अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में रिपोर्ट विलम्ब से करने का ऐसा कोई कारण दर्शित नहीं होता है। इस प्रकार दुर्घटनाकारित करने वाले चालक के रूप में आरोपी धर्मेन्द्र की पहचान के संबंध में साक्षी दिलीप अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य विरोधाभाष पूर्ण होने के कारण सत्य प्रतीत नहीं होता है।

12. अभियोजन साक्षी केशव सिंह अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 27/09/2014 को थाना मौ में आरक्षक चालक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा अपराध क्रमांक 316/14 अन्तर्गत धारा 429 भा.द.सं. में जब्तशुदा वाहन क्रमांक एम.पी.30/पी/0130 की मैकेनिक जांच उसके द्वारा की गई थी। साक्षी आगे कहता है कि वाहन चालू हालत में था। ट्रान्समिशन, संस्पेंशन, स्टेरिंग, लाईट, हॉर्न, ब्रेक आदि यंत्र काम कर रहे थे। वाहन में कोई टूट-फूट नहीं थी। उसके द्वारा तैयार की गई मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उल्लेखनीय है कि अभियोजन कथा के अनुसार घटना दिनांक : 14/09/2014 की है और बस क्रमांक एम.पी.30/पी/0130 को दिनांक : 27/09/2014 को जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.06 बनाया गया और उसी दिन उक्त वाहन का यांत्रिक परीक्षण थाने पर किया गया। यदि घटना दिनांक या उसके तुरन्त पश्चात् घटनास्थल से उक्त वाहन को जब्त किया जाकर उसका यांत्रिक परीक्षण किया गया होता तो यह अभिनिश्चित किया जाना संभव था

कि उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, अथवा नहीं और यदि दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तो उक्त वाहन में किस स्थान पर किस प्रकार की और किस कारण से क्षति कारित हुई थी। इसलिए 13 दिन विलम्ब से यांत्रिक परीक्षण किये जाने से यांत्रिक परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.04 एवं परीक्षण कर्ता केशव सिंह अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

13. अभियोजन साक्षी शेषदेव राम भगत अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 16/09/2014 को पुलिस थाना मौ में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मौ के अपराध क्रमांक 316/2014 अन्तर्गत धारा 429 भा.द.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट विवेचना हेतु प्रधान आरक्षक निहाल सिंह से प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि उक्त दिनांक को उसके द्वारा फरियादी गोविन्द बाल्मीक की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी गोविन्द बाल्मीक के कथन अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. के कथन उसके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 27/02/2014 को आरोपी धर्मेन्द्र को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.05 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपी से बस क्रमांक एम.पी.30/पी/0130 मय रजिस्ट्रेशन एवं आरोपी धर्मेन्द्र के ड्रायविंग लाईसेंस की छायाप्रति जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.06 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् विवेचना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

14. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में शेषदेव राम भगत अ.सा.06 का कहना है कि उसे फरियादी गोविन्द नक्शा-मौका बनाये जाते समय घटनास्थल पर मौजूद मिला था और वह घटनास्थल पर मोटर साइकिल से गया था। जबकि फरियादी गोविन्द अ.सा.02 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में कहना है कि नक्शा-मौका पर उसका अंगूठा निशानी पुलिस ने थाने पर ही कराये थे। इस प्रकार नक्शा-मौका प्र.पी.03 घटनास्थल पर जाकर फरियादी गोविन्द अ.सा.02 की निशानदेही पर बनाय गया था, अथवा नहीं, इस वावत् गोविन्द अ.सा.02 तथा विवेचक शेषदेव राम भगत अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है और इस वावत् शेषदेव राम भगत अ.सा.06 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य सत्य प्रतीत नहीं होता है।

15. अभियोजन साक्षी डॉ.आर.पी.शर्मा अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 16/09/2014 को पशु चिकित्सालय मौ में पशु चिकित्सक सहायक शलक्म के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी मौ के प्रतिवेदन पर दिलीप सिंह पुत्र नारायण जमादार मादा सुअर उम्र 04 वर्ष का पोस्टमार्टम हेतु उसके समक्ष लाया था, उसके द्वारा सुअर के पीएम में सुअर की नाक एवं मुँह से खून निकल रहा था। सुअर की पसली टूटी हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि जिस मादा सुअर को उसके समक्ष लाया गया था, वह गर्भवती थी। मादा सुअर के मुँह में खून का थक्का जमा हुआ था। मादा सुअर के फैंफड़े में एक पसली टूटकर घूस गई थी।

फैफड़े में खून के थक्के जम गये थे। उदर गुहा में जमा हुआ खून मौजूद था। मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्राव एवं पसली टूट कर फैफड़े में घुस गई थी, जिससे श्वसन तंत्र बंद हो गया था। इस वावत् उसके द्वारा तैयार की गई पीएम रिपोर्ट प्र.पी. 01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। डॉ.आर.पी.शर्मा अ.सा.01 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में मादा सुअर की मृत्यु का कारण उसकी पसली टूटकर फैफड़े में घुस जाने के कारण होना वाला अत्याधिक रक्तस्राव और श्वसन तंत्र का बंद हो जाना बताया है। साक्षी डॉ.आर.पी.शर्मा अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह अभिमत दर्शित नहीं किया गया है कि उक्त मादा सुअर की मृत्यु का कारण वाहन दुर्घटना में आई चोटें थी। इसलिए साक्षी डॉ.आर.पी.शर्मा अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि उक्त मादा सुअर को किसी वाहन दुर्घटना में आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु कारित हुई।

16. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी धर्मेन्द्र ने दिनांक :- 14/09/2014 को रात्रि लगभग 09:30 बजे मौ गोलम्बर के पास बस क्रमांक एम.पी.30/पी/0130 से फरियादी गोविन्द को नुकसान कारित करने के आशय से उसके सुअर को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित कर रिष्टि कारित की।

अंतिम निष्कर्ष

17. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी धर्मेन्द्र के विरुद्ध धारा 429 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 429 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

18. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

19. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बस क्रमांक एम.पी.30/पी/0130 उसके पंजीकृत को प्रदान कर व्ययनित की जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

